



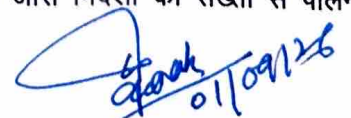
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय  
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University  
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)-246174  
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174  
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University)

Prof. Deepak Kumar  
Chief Proctor

Mobile No. 8650050639  
Email. proctoroffice2019@gmail.com

## विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2026-27 हेतु अनुशासनात्मक निर्देश

1. प्रत्येक प्रत्याशी एवं छात्र के लिए विश्वविद्यालय परिसर में वैध विश्वविद्यालय परिचय-पत्र (University Identity Card) साथ रखना अनिवार्य होगा।
2. सभी प्रत्याशियों एवं छात्रों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनुशासन, मर्यादा एवं सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखना अनिवार्य होगा।
3. किसी भी प्रत्याशी के विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग, अफवाह फैलाना, झूठे आरोप लगाना अथवा मानहानिकारक वक्तव्य देना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
4. किसी भी प्रत्याशी अथवा उसका समर्थक के द्वारा किसी छात्र/छात्रा को किसी विशेष प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने हेतु धमकाना, दबाव डालना अथवा बाध्य करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
5. प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों द्वारा परिसर एवं उसके 200 मीटर की परिधि के अन्दर लाउडस्पीकर, डीजे0 अथवा अन्य ध्वनि उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।
6. मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से धनराशि, उपहार, भोजन, मदिरा अथवा किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन देना या वितरित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
7. पोस्टर, बैनर, पम्पलेट, नारे अथवा अन्य चुनाव प्रचार सामग्री केवल निर्वाचन समिति द्वारा निर्धारित स्थान दीवार पर ही प्रदर्शित की जा सकेगी।
8. मतदान के दिन, प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों को परिसर में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री जैसे टीशर्ट, टोपी, मफलर, झंडा, बैनर, पोस्टर या अन्य कोई भी प्रचार से संबंधित सामग्री, जिससे किसी प्रत्याशी की पहचान प्रदर्शित हो, पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी।
9. प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के उद्देश्य से विश्वविद्यालय की दीवारों, भवनों, द्वारों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, वाहनों, उपकरणों अथवा विश्वविद्यालय के किसी अन्य संसाधन पर चुनाव प्रचार सामग्री चिपकाने या प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी।
10. चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान विश्वविद्यालय अथवा निजी संपत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित प्रत्याशी/प्रत्याशियों को लागू नियमों के अनुसार इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जायेगा।
11. प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय संयम एवं जिम्मेदारी का परिचय देंगे। किसी प्रत्याशी, छात्र, शिक्षक/शिक्षिका अथवा विश्वविद्यालय के विरुद्ध झूठी जानकारी, मानहानिकारक सामग्री, धमकी, घृणास्पद भाषण अथवा आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित है।
12. सभी प्रत्याशियों से अपेक्षा की जाती है कि वे चुनाव प्रक्रिया को लोकतांत्रिक सहभागिता एवं नेतृत्व के अवसर के रूप में लेते हुए हर समय विश्वविद्यालय की गरिमा, प्रतिष्ठा एवं शैक्षणिक वातावरण को बनाए रखेंगे।
13. छात्र/छात्राओं को निर्वाचन समिति, नियन्ता मंडल, मतदान कर्मियों द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।

  
प्रो० दीपक कुमार